रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 1974/आषाढ़ 4, 1896

No. 279] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 1974/ASADHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th June 1974

ORDER

S.O. 386(E)/IDRA/18G/74.—Whereas it appears to the Central Government to be necessary and expedient so to do for securing the availability of linoleum whether felt-based or jute-based at fair prices:

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers enabling it in this behalf the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Linoleum (Price Control) Order, 1974.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires:—

(a) "Controller" means an officer of the Central Government appointed by that Government to be the Controller for the purposes of this Order;

(b) "Linoleum" means linoleum whether felt-based or jute-based.

(c) "Manufacturer" means a manufacturer specified in the Schedule to this Order.

3. **Control of price.**—No manufacturer shall, after the commencement of this Order, sell or offer to sell linoleum at a price exceeding the price specified in the Schedule to this Order.

4. **Maintenance and production of books, accounts, etc.**—(1) Every manufacturer shall keep such books, accounts and records relating to the manufacture and the sale of linoleum as the Controller may specify.

(2) Every such book, account or record shall, when so required, be produced for inspection before the Controller or other authority specified by the Central Government in this behalf.

(3) Every manufacturer shall furnish to the Controller such returns, in such manner and at such times as the Cotroller may specify.

THE SCHEDULE

Name of the manufacturer	Description of item	Price
		(in rupees)
M/s. India Linoleum Ltd., Calcutta.	*Plains* (All shades other than M.B. Green)	
	4·5 mm	41·60
	3·2 mm	30·10
	2·00 mm	19·80
	Inlaids (All shades & designs)	
	2·00 mm	21·30
	1·65 mm	17·60
	Printed (All designs)	16·10
	Indoleum (felt based)	9·80

NOTE.—1. The prices indicated above are Prices (F.O.R. destination).

2. The prices indicated above are exclusive of all commodity taxes on finished linoleum whether Central, State or local.

Supplementary charges for plain linoleum of M.B. Green shade would be:—

(i) For 4.5 mm Rs. 3 per metre (2 metres wide)
(ii) For 3.2 mm Rs. 2 per metre (2 metres wide)
(iii) For 2.0 mm Rs. 1.50 per metre (2 metres wide).

[No. 25(1)/73-LI(I)/LRG]
S. K. SEHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जून, 1974

आदेश

का० आ० 386(अ)—आई० डी० आर० ए०/18 जी०/74—यतः लिनोलियम की, चाहे फील्ट लगा हो या पटसन लगा हो, उपलभ्यता उचित कीमतों पर सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—() इस आदेश का नाम लिनोलियम (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1974 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियंत्रक" से केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उस सरकार द्वारा इस आदेश के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया हो ;

(ख) "लिनोलियम" से लिनोलियम अभिप्रेत है, चाहे उस पर फील्ट लगा हो या पटसन लगा हो ;

(ग) "विनिर्माता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

3. **कीमत का नियंत्रण.**—इस आदेश के प्रारम्भ के पश्चात् कोई विनिर्माता लिनोलियम का विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना ऐसी कीमत पर नहीं करेगा जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीमत से अधिक हो ।

4. **बहियों, लेखाओं आदि का रखा जाना और पेश किया जाना.**—(1) प्रत्येक विनिर्माता लिनोलियम के निर्माण और विक्रय के संबंध में ऐसी बहियां, लेखाएं और अभिलेख रखेगा जिन्हें नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे ।

(2) प्रत्येक ऐसी बही, लेखा या अभिलेख, जब ऐसा अपेक्षित हो, नियंत्रक या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षणार्थ पेश किए जाएंगे ।

(3) प्रत्येक विनिर्माता, नियंत्रक को ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर जिन्हें नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे विवरण देगा ।

अनुसूची

विनिर्माता का नाम	मद का विवरण	कीमत
		रुपयों में
मसर्स इन्डिया लिनोलियम लिमिटेड कलकत्ता	**सादा**	
	(एम०बी० हरा भिन्न सभी रंग)	
	4.5 एम० एम०	41.60
	3.2 एम० एम०	30.10
	2.00 एम० एम०	19.80
	जड़ा हुआ	
	(सभी रंग और डिजाइन)	
	2.00 एम० एम०	21.30
	1.65 एम० एम०	17.60
	छपा हुआ	
	(सभी डिजाइन)	16.10
	इम्बोसियम	
	(फील्ट लगा हुआ)	9.80

टिप्पणी.—1. ऊपर उपदर्शित कीमतें (गंतव्य स्थान तक) कीमतें ।

2. ऊपर उपदर्शित कीमतें तैयार लिनोलियम पर, लागू वाले करों के, चाहे वे केन्द्रीय राज्य या स्थानीय हों, अलावा है ।

3. एम० बी० हरे रंग की सादी लिनोलियम के लिए अतिरिक्त प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

i. 4.5 एम० एम० (दो मीटर चौड़ी) 3 रुपये प्रति मीटर ।

ii. 3.2 एम० एम० (2 मीटर चौड़ी) 2 रुपये प्रति मीटर ।

iii. 2.0 एम० एम० (2 मीटर चौड़ी) 1.50 रुपये प्रति मीटर ।

[सं० 25(1)/73—एल० आई० (1)/एल० आर० जी]

(एस० के० महेश्वर),

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974